उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या– 1843 /XXXX/2019-15/2012
देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2019

प्राप्ति सं0 1306
दि0 16/11/19

अधिसूचना

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 67ए सपठित साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के उपबन्धों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के भाग 6क के प्रयोजनार्थ निदेशक, होम्योपैथी को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिये अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से "अनुज्ञापन प्राधिकारी" नियुक्त करते हैं।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 1843 /XXXX/2019-15/2012, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौडी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
8. औषधि नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया होम्योपैथ औषधियों की लाइसेंसिग से सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेख निदेशक, होम्योपैथ को हस्तगत कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

.D./D.D
Director
16/11/19

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या–1605 /XXXX/2019-15/2012

देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2019

प्राप्ति सं0 1305 दि0 16 11 19

अधिसूचना

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 के उपबन्धों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में नियुक्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों/प्रभारी जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के भाग 6क के प्रयोजनार्थ उनकी क्षेत्राधिकारीता के अन्तर्गत "निरीक्षक" नियुक्त करते हैं।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 1605 /XXXX/2019-15/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौडी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी हरिद्वार को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

D./D.D
Director
16/11/19

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

(888)

होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
प्राप्ति क्रमांक 1097
दि० 27/12/2021

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या– /XL-1/2021-15/2021
देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 67 क सपठित साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या–10 वर्ष 1897) की धारा 21 के उपबन्धों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा की अधिसूचना संख्या–1843/XXXX/2019-15/2012, दिनांक 15.11.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नियमावली के भाग 6क के पश्चात् नया भाग 7क अन्तःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

J.D./D.D

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव

Director 27/12/2021

संख्याः– 2485 ( )/XL-1/2021-15/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. औषधि नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Singh

(ज्योति सिंह)
अनु सचिव।

DD-II
27/12/2021

OS
27/12/2021